उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

केस : 182/14

मदनलाल पुत्र श्री कल्याण जाति रेगर निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. राधेश्याम पुत्र श्री भैरूलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल
3. गायत्री बेवा श्री जगदीश
4. सावित्री पुत्री श्री भैरूलाल
5. विमला पुत्री श्री जगदीश
6. सोनू पुत्र श्री जगदीश
7. पाना बेवा श्री भैरूलाल
   जाति रेगर निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील प्रतिवादीगणः श्री हरिश राजावत
दायरा दिनांकः 01.12.2014

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी के कब्ज काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या 332 खसरा नम्बर 1837/2381 रकबा 0.48 है0 ग्राम रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। जिसे काश्त कर वादी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रतिवादी 1 ता 7 की कोई आराजी खसरा नम्बर 1837/2381 के आस–पास भी नही है एवं प्रतिवादी 1 ता 7 वादी की आराजी को स्वयं का बताकर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने एवं वादी की विवादित आराजी खुर्द बुर्द एवं काश्त में दखलअंदाजी न करने का आदेश फरमावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.12.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 08.12.2014 को अधिवक्ता श्री हरीश राजावत ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.12.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर वादी का कभी कब्जा नही रहा है प्रतिवादीगण कम 1 ता 7 विगत 30 वर्षो से उक्त आराजी पर काश्त कर रहे है। वाद पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर लाया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त मद

[illegible] निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण के पिता को पुराना खसरा नं0 1728/3 रकबा 2 बीघा 2 [illegible] आवंटन हुई इस प्रकार 1725/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल 4 बीघा 14 बिस्वा आराजी [illegible] का आवंटन हुई थी जिसके बाद में क्रमशः 1855, 1868 कायम किये है तथा उक्त [illegible] प्रतिवादीगण के पिता को दखल दिया गया था। प्रतिवादीगण के पिता भैरूलाल को खसरा [illegible] खसरा नं0 1728/3 का इन्द्राज सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया जिसकी दुरुस्ती हेतु प्रतिवादीगण के पिता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसका निर्णय श्रीमान कलक्टर साहब बारां ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2000 को उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 1837 में से 0.12 है0 आराजी प्रवितादीगण के पिता के रेकार्ड खाते दर्ज करने का आदेश फरमाया गया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को वाद पत्र में विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जावे। वादी ने उक्त जवाब दावा के प्रतिउत्तर में दिनांक 17.12.2014 को जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार जवाब दावा की समस्त मद अस्वीकार की है। एवं निवेदन किया है कि प्रतिवादी का वादी की आराजी खसरा नं0 1837/2381 से कोई वास्ता नही है, और आवंटन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। खसरा नं0 1837/2381 पर अनवरत वादी निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगणों द्वारा झूठे तथ्यो पर अन्य आराजी पर स्थगन लेकर वादी के खातेदारी एवं कब्जे शुदा आराजी पर काश्त करने से जबरन रोका जा रहा है, जिसका प्रतिवादीगणो को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 28.09.2018 को वकील प्रतिवादी को तीन मर्तबा रूक–रूक कर आवाज दिलाने पर भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य वादी– प्रतिवादी बन्द की जाती है। प्रकरण में दिनांक 28.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 ता 7, वादी की खाता आराजी खसरा नम्बर 1837/2381 रकबा 0.48 है0 में बदनियति रखता है। अतः प्रतिवादी कम 1 ता 7 को पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया ग्राम रायथल की आराजी खसरा नम्बर 1837/2381 रकबा 0.48 है0 का वादी खातेदार कृषक है, एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 उक्त आराजी में दखल अंदाजी करता है। अतः मुताबिक वाद पत्र, शपथ पत्र वादी एवं सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादी की खाते की आराजी

[illegible] रकबा 0.48 है0 वाके माल ग्राम रायथल में वादी को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे [illegible] की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल [illegible] से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना